

प्रेस नोट – थाना साइबर क्राइम फतेहगढ़

दिनांक - 12.07.2026

थाना साइबर क्राइम फतेहगढ़ पुलिस द्वारा ट्रांसपोर्ट सुविधा मुहैया कराने के नाम पर सीधे साधे लोगों को अपने झांसे में लेकर ट्रांसपोर्ट बुकिंग के नाम पर साइबर ठगी करने वाले 01 अभियुक्त को 03 मोबाइल व 06 डेबिट कार्ड व 10 मोबाइल सिम व 02 पासबुक व कुल 1350/- रुपये सहित किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 श्री राजीव कृष्ण महोदय, श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर श्री युमना प्रसाद के कुशल पर्यवेक्षण में साइबर अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना साइबर क्राइम फतेहगढ़ पुलिस टीम द्वारा ट्रांसपोर्ट सुविधा मुहैया कराने के नाम पर सीधे साधे लोगों को अपने झांसे में लेकर ट्रांसपोर्ट बुकिंग के नाम पर साइबर ठगी करने वाले अभियुक्त सुरजीत सिंह पुत्र जगदीश सिंह निवासी ग्राम भुसेरा थाना राजेपुर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

01. सुरजीत सिंह पुत्र जगदीश सिंह निवासी ग्राम भुसेरा थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ ।

घटना का संक्षिप्त विवरण- थाना साइबर क्राइम जनपद फतेहगढ़ पुलिस टीम द्वारा प्रतिबिम्ब पोर्टल से प्राप्त संदिग्ध मोबाइल नंबरों एवं बैंक खातों की जांच के दौरान थाना राजेपुर क्षेत्र के ग्राम भुसेरा से अभियुक्त सुरजीत सिंह उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 03 मोबाइल फोन, 06 डेबिट कार्ड, 10 मोबाइल सिम, 02 बैंक पासबुक तथा 1,350 रुपये नगद बरामद हुए। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह अपने साथी नक्षत्र पाल सिंह निवासी जनपद हरदोई के साथ मिलकर ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध कराने के नाम पर लोगों को झांसे में लेकर फर्जी ट्रांसपोर्ट बुकिंग के माध्यम से साइबर ठगी करता था। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना साइबर क्राइम फतेहगढ़ पर मु0अ0सं0 09/2026, धारा 318(4), 317(2) बीएनएस एवं 66D आईटी एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

बरामदगी का विवरण-

1. 03 मोबाइल फोन
2. 06 डेबिट कार्ड
3. 10 मोबाइल सिम
4. 02 बैंक पासबुक
5. 1,350 रुपये नगद बरामद

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सुरजीत सिंह उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 09/2026, धारा 318(4), 317(2) बीएनएस एवं 66D आईटी एक्ट थाना साइबर क्राइम फतेहगढ़।

गिरफ्तार करने वाली थाना साइबर पुलिस टीम-

- | | | |
|--------------------------------|----------------------|-----------------|
| 1. उ0नि0 श्री सुबोध यादव | 4. का0 गौरीशंकर | 7. का0 राजकुमार |
| 2. हे0का0 रविन्द्र प्रताप सिंह | 5. का0 अनुराग लाम्बा | |
| 3. का0 अंकित आर्य | 6. का0 दिपिन राठी | |

मीडिया सेल फतेहगढ़।

- साइबर अपराध के प्रति जागरूकता ही बचाव है। साइबर अपराध के शिकार होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर ऑनलाइन शिकायत करें अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत पंजीकृत करें या अपने नजदीकी थाने की साइबर हेल्प डेस्क पर पहुँच कर लिखित शिकायत करें।
- सतर्क रहें, जागरूक रहें।
- साइबर क्राइम पुलिस उत्तर प्रदेश सदैव आपकी सेवा में तत्पर है।

प्रेस नोट – थाना साइबर क्राइम फतेहगढ़

दिनांक - 12.07.2026

थाना साइबर क्राइम फतेहगढ़ पुलिस द्वारा साइबर ठगी में प्रयुक्त 13 म्यूल बैंक खातों का संचालन कर ठगी की धनराशि का लेन-देन करने वाले 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कुल 97256 रुपये फ्रीज किया गया।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० श्री राजीव कृष्ण महोदय, श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर श्री युमना प्रसाद के कुशल पर्यवेक्षण में साइबर अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना साइबर क्राइम फतेहगढ़ पुलिस द्वारा साइबर ठगी में प्रयुक्त म्यूल बैंक खातों का संचालन कर ठगी की धनराशि का लेन-देन करने वाले 03 अभियुक्त 01.अभय 02. अनमोल 03.अंकित को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. अभय श्रीवास्तव उर्फ नीलू पुत्र निवेन्द्र श्रीवास्तव निवासी सातनपुर भोपत पट्टी थाना कादरीगेट ।
2. अनमोल पुत्र विपिन कुमार शाक्य निवासी सातनपुर भोपत पट्टी सातनपुर थाना कादरीगेट ।
3. अंकित शाक्य पुत्र सुभाष चन्द्र शाक्य निवासी भोपत पट्टी थाना कादरीगेट ।

घटना का संक्षिप्त विवरण- थाना साइबर क्राइम ,फतेहगढ़ पुलिस टीम द्वारा म्यूल् खातों की गहन जांच एवं सत्यापन के दौरान ऐसे व्यक्तियों की पहचान की गई, जो साइबर अपराधियों द्वारा ठगी से प्राप्त धनराशि को अपने बैंक खातों में प्राप्त कर उसका लेन-देन एवं निकासी कर अवैध रूप से उपयोग कर रहे थे । जांच में पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होने पर उक्त व्यक्तियों की भूमिका संदिग्ध पाए जाने के आधार पर अभियुक्त 01.अभय के विरुद्ध मु0अ0सं0 172/2026, धारा 318(4) बीएनएस 02.अभियुक्त अनमोल के विरुद्ध के विरुद्ध मु0अ0सं0 173/2026, धारा 318(4) बीएनएस 03.अंकित के विरुद्ध मु0अ0सं0 174/2026, धारा 318(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया है। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाए जाने वाले सभी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाई की जा रही है।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अभय उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 172/2026, धारा 318(4) बीएनएस थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़ ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अनमोल उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 173/2026, धारा 318(4) बीएनएस थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़ ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अंकित उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 174/2026, धारा 318(4) बीएनएस थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. थाना साइबर क्राइम फतेहगढ़ एवं साइबर हेल्प डेस्क थाना कादरीगेट द्वारा संयुक्त कार्यवाही ।

मीडिया सेल फतेहगढ़ ।

- साइबर अपराध के प्रति जागरूकता ही बचाव है। साइबर अपराध के शिकार होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर ऑनलाइन शिकायत करें अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत पंजीकृत करें या अपने नजदीकी थाने की साइबर हेल्प डेस्क पर पहुँच कर लिखित शिकायत करें।
- सतर्क रहें , जागरूक रहें ।
- साइबर क्राइम पुलिस उत्तर प्रदेश सदैव आपकी सेवा में तत्पर है ।



फतेहगढ़ पुलिस साइबर थाना



ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध कराने के नाम पर लोगों को झांसे में लेकर
फर्जी ट्रांसपोर्ट बुकिंग के माध्यम से साइबर ठगी करने वाले
01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।



**बरामदगी- 03 मोबाइल फोन, 06
डेबिट कार्ड, 10 मोबाइल सिम, 02
बैंक पासबुक तथा 1,350 रुपये नगद**

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :-

सुरजीत सिंह पुत्र जगदीश सिंह
निवासी ग्राम भुसेरा थाना राजेपुर
जनपद फतेहगढ़

🔒 सतर्क रहें, सुरक्षित रहें – किसी भी अनजान लिंक या कॉल से सावधान रहें ।

Fatehgarh Police

@fatehgarhpolice

fatehgarhpolice

CYBER HELPLINE : 1930



फतेहगढ़ पुलिस

थाना साइबर क्राइम फतेहगढ़



थाना साइबर क्राइम फतेहगढ़ एंव साइबर हेल्प डेस्क थाना कादरीगेट द्वारा संयुक्त कार्यवाही ।

साइबर ठगी में प्रयुक्त म्यूल बैंक खातों का संचालन कर ठगी की धनराशि का लेन-देन करने वाले **03 अभियुक्तों** को किया गया गिरफ्तार ।



अभियुक्तों का विवरण :-

1. अभय श्रीवास्तव उर्फ नीलू
पुत्र निवेन्द्र श्रीवास्तव
2. अनमोल पुत्र विपिन कुमार शाक्य
निवासी सातनपुर
3. अंकित शाक्य पुत्र सुभाष चन्द्र शाक्य
निवासीगण भोपत पट्टी
थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़ ।

कार्यवाही :-

13 म्यूल बैंक खाते व 97256 रुपये फ्रीज कराये गये ।

फतेहगढ़ पुलिस साइबर अपराधों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही कर रही है ।

Fatehgarh Police

@fatehgarhpolice

fatehgarhpolice

CYBER HELPLINE : 1930



फतेहगढ़ पुलिस



#ऑपरेशन मुस्कान

थाना कमालगंज पुलिस द्वारा 12 वर्षीय गुमशुदा बालक को 03 घण्टे के अन्दर सकुशल बरामद कर परिवारीजनों को सुपुर्द किया गया।



थाना कमालगंज

आवेदिका द्वारा थाना कमालगंज पर अपने 12 वर्षीय बालक जो घर से फ्रीजर से पानी लेने की बात कहकर निकला था जो वापस नहीं आया है, के सम्बन्ध में थाना कमालगंज पर सूचना दी गयी थी। प्राप्त सूचना पर थाना कमालगंज पुलिस द्वारा तत्काल टीम गठित कर ऑपरेशन मुस्कान के तहत त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदिका के पुत्र को सूचना प्राप्त होने के 03 घण्टे के अन्दर सकुशल बरामद कर उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया। परिजनों व आमजनमानस द्वारा फतेहगढ़ पुलिस की तत्परता की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी।



@fatehgarhpolice



fatehgarhpolice

मीडिया सेल फतेहगढ़।